उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0
शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ

सं0 2981-औस-17/पाकालि/2001-11(33)ए.एस.2001 दि0 8 अक्टूबर 2001

कार्यालय ज्ञाप

एतद्द्वारा उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के अन्तर्गत कार्यरत एवं सेवानिवृत्त कर्मचारियों/अधिकारियों एवं उन पर पूर्णतः आश्रित परिजनों की चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति की स्वीकृति विषयक वित्तीय अधिकारों के प्रतिनिधायन के सम्बन्ध में पूर्ववर्ती उ0प्र0राज्यविद्युत परिषद द्वारा निर्गत समस्त आदेशों का अतिक्रमण करते हुए चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति स्वीकृति करने हेतु वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन सम्यक विचारोपरान्त निम्नवत किया जाता है ।

अधिकारी का पदनाम	प्रतिपूर्ति की अधिकतम धनराशि
1. अधिशासी अभियन्ता	रू0 3000/- तक
2. उपमहाप्रबन्धक	रू0 7000/- तक
3. महाप्रबन्धक	रू0 15000/-तक
4. मुख्य महाप्रबन्धक	रू0 20,000/-तक
5. मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत)	रू0 50,000/-तक
6. निदेशक (का.प्र. एवं प्रशासन)	रू0 1,00,000/- तक
7. निदेशक (का.प्र. एवं प्रशासन) (निदेशक वित्त की सहमति से)	रू0 1,00,000/- से अधिक

2. उपरोक्त वित्तीय अधिकारों का प्रयोग करने हेतु केवल वे ही अधिकारी सक्षम होंगे जिन्हें अधिष्ठान कार्य आवंटित होंगे।

3. सेवारत/सेवानिवृत्त अधिकारियों एवं उन पर पूर्णतः आश्रित परिवार के सदस्यों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति के समस्त प्रकरणों का निस्तारण कारपोरेशन मुख्यालय से ही किया जायेगा।

4. कारपोरेशन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह भी निर्णय लिया गया है कि सरकारी अस्पतालों एवं पूर्ववर्ती परिषद/कारपोरेशन द्वारा मान्यता प्राप्त चिकित्सालयों में "आउट डोर पेशेण्ट" के रूप में डायलिसिस कराने पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति भी अनुमन्य होगी।

5. यह आदेश दिनांक 24.9.2001 से प्रभावी होगी।

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

सं0 2981-I-औस-17/पाकालि/2001 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यककार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मा0 मंत्री ऊर्जा, उ0प्र0 शासन के निजी सचिव.
2. मा0 राज्य मंत्री, ऊर्जा, उ0प्र0शासन के निजी सचिव.
3. सचिव ऊर्जा उ0 प्र0 शासन, लखनऊ
4. समस्त मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक/उपमहाप्रबन्धक/मुख्य अभियन्ता जल विद्युत उ0प्र0पावर कार्पोरेशन लि0
5. अध्यक्ष विद्युत सेवा आयोग/जाँच समिति, उ0प्र0पावर कार्पोरेशनलि0
6. समस्त वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी/कार्मिक अधिकारी, उ0प्र0पा0का0लि0
7. उप सचिव कार्मिक उ0प्र0पावर कार्पोरेशन लि0 शक्ति भवन, लखनऊ
8. कारपोरेशन मुख्यालय के समस्त अधिकारी/अनुभाग अधिकारी/निजी सचिव प्रशासनिक एवं लेखा स्कन्ध
9. मुख्य चिकित्साधिकारी, शक्ति भवन, लखनऊ
10 सम्बन्धित पत्रावली

8/10/01

आज्ञा से,

रवि प्रकाश मिश्र
कार्मिक अधिकारी